

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कॉर्ट)

-: आदेश :-

प्र०सं० :- 5543/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का उपरेडा भू अ०नि० वृत्त भीमगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी एवं तहसीलदार समदडी जिला बाढमेर की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा उपरेडा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 185 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उपरेडा	185	गरु	गरुडा



महासहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 (उपखण्ड राशमी)

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(5543)2018 दिनांक :- 13.07.2018
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बंशीलाल पिता सुवालाल गरुडा निवासी उपरेडा को सूचनार्थ।



सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 (उपखण्ड राशमी)
 राशमी